तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दावा संख्या 53/2023 GCMS 2023/125

अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवानी प्रेम देवी बनाम कृष्ण कुमार आदि

01.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादिया उपस्थित आये। अधिवक्ता वादिया के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादिया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् व वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादिया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वादिया के नाम की त्रुटि न तो भू प्रबन्ध विभाग की है तथा न ही कोई लिपिकीय त्रुटि है। वादिया का वर्तमान नाम जमाबन्दी में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2012 से क्रय करने से दर्ज हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2012 के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि वादग्रस्त भूमि में वादिया का नाम श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री कैलाश जाति बंजारा निवासी ढाणी डोवडा जसरापुर तहसील खेतड़ी अंकित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादिया का हस्तगत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 के अन्तर्गत बनना नहीं पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः वाद वादिया पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/7/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी